अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 14)

[28 मार्च, 2002]

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 1 का संशोधन।

1956 का 33

2. अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 की उपधारा (1) में, ''अन्तर्राज्यिक'' शब्द के स्थान पर ''अन्तर्राज्यिक नदी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जब धारा 3 के अधीन कोई अनुरोध जल विवाद के बारे में किसी राज्य सरकार से प्राप्त होता है और केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि जल विवाद बातचीत से तय नहीं किया जा सकता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए, जल विवाद अधिकरण का गठन करेगी:

परन्तु अन्तर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व अधिकरण द्वारा तय किए गए किसी विवाद को पुन: नहीं खोला जाएगा।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में अधिकरण को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के परामर्श से, दो या अधिक व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी।"।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) अधिकरण उन मामलों का अन्वेषण करेगा जो उसको निर्दिष्ट किए गए हैं और वह केन्द्रीय सरकार को, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य और उसको निर्दिष्ट मामलों पर उसके द्वारा दिया गया विनिश्चय उपवर्णित होगा:

परन्तु यदि विनिश्चय अपरिहार्य कारणों से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जा सकता है, तो केन्द्रीय सरकार, उक्त अवधि को दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी।

(3) यदि अधिकरण के विनिश्चय पर विचार करने पर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की यह राय है कि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण अपेक्षित है या किसी मामले पर, जिसे अधिकरण को मूलत: निर्दिष्ट नहीं किया गया है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, विनिश्चय की तारीख से तीन मास के भीतर, मामले पर और विचार करने के लिए अधिकरण को पुन:निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे निर्देश पर अधिकरण एक और रिपोर्ट ऐसे स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन देते हुए, जो वह ठीक समझे, ऐसे निर्देश की तारीख से एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी दशा में, अधिकरण का विनिश्चय तद्नुसार उपांतरित किया गया समझा जाएगा:

परन्तु एक वर्ष की उक्त अवधि को, जिसके भीतर अधिकरण अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।"।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 को, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) अधिकरण के विनिश्चय का, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में उसके प्रकाशन के पश्चात्, वही प्रभाव होगा जो उच्चतम न्यायालय के आदेश या डिक्री का होता है।"।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) किसी ऐसे डाटा की अध्यपेक्षा करना जो उसके द्वारा अपेक्षित हों;"।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 9क का अंत:स्थापन।

"9क. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक नदी द्रोणी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी डाटा बैंक और सूचना प्रणाली बनाए रखेगी जिसमें जल स्रोतों, भूमि, कृषि और उनसे संबंधित विषयों के संबंध में वह डाटा सम्मिलित होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विहित करे। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार को यों केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण को, जब भी अपेक्षित हो, उक्त डाटा का प्रदाय करेगी। डाटा बैंक और सूचना का बनाए रखना।

(2) केन्द्रीय सरकार को, राज्य सरकार द्वारा प्रदाय किए गए डाटा का सत्यापन करने और उक्त प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने और ऐसे उपाय करने की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, शक्तियां होंगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को संबद्ध राज्य सरकार से ऐसे अभिलेख और सूचना समन करने की शक्तियां होंगी जो इस धारा के अधीन उनके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझी जाएं।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 13 का संशोधन।

"(ङ) अधिकरण के अधिकारियों और असेसरों की सेवा के निबंधन और शर्तें;"।

राष्ट्रपति ने दि इन्टर-स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Inter-State Water Disputes (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.